

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2017—पौष 1, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2017

सूचना

क्रमांक—एफ—3—48/2017/18—5:— मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन 1973) की धारा 24 उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में निम्नलिखित संशोधन

जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 06.10.2017 में पूर्व में प्रकाशित किया गया। विचारोपरांत नियमों में निम्न संशोधन को अंतिम रूप दिया जाता है :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 42 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाता है अर्थात् :-

"42 क सूचना प्रौद्योगिकी हेतु मापदंड -

सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवायें तथा सुविधाजनक एवं इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाईन एवं मैनुफेक्चरिंग को सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाएगा।

1. भूखंड हेतु भूमि की आवश्यकता :- भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर होगा।
2. सूचना प्रौद्योगिकी(इन्वेस्टमेंट) निवेश क्षेत्र :- ऐसा क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र माना जायेगा जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर (5 एकड़) हो और जो ऐसे क्षेत्र के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, म0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
3. फर्शीक्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) :-सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां हेतु भूखण्ड तथा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश (इन्वेस्टमेंट) क्षेत्र में अधिकतम फर्शीक्षेत्र अनुपात 1:2.50 या उस क्षेत्र में विकास योजना में अधिकतम स्वीकार्य उपयोग फर्शीक्षेत्र अनुपात, जो भी अधिक है, स्वीकार्य होगा।

परन्तु यह भी कि सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में यदि भूखण्ड/भवन का गैर सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोजन हेतु उपयोग निम्न सारणी-5 क में निर्धारित प्रतिशत से अधिक होता है तो सम्पूर्ण भूखण्ड/भवन का एफ.ए.आर. एवं भूमि उपयोग संबंधित नगर विकास योजना अनुसार ही मान्य किया जावेगा।

सारणी-5-क
नियम 42 (क) देखिये
एम.पी.आई.टी.आई.टी.ई.एस. एवं ई.एस.डी.एम.
हेतु भूखंड/भवन का प्रतिशत

क.	आवेदन का प्रकार	विकास का प्रकार	भूखंड/फर्शी क्षेत्र का प्रतिशत	
			आई.टी., आई.टी.ई. एस. एवं ई.एस.डी.एम. भूखंडों हेतु न्यूनतम	आनुशांगिक, वाणिज्यिक/अन्य औद्योगिक/आवासीय भूखंडों हेतु अधिकतम
1	आई.टी. इकाई/आई.टी.ई. एस./ई.एस.डी.एम. इकाई	भूखंडीय विकास	85%	15%
	आई.टी./आई.टी.ई.एस.	भवन निर्माण	60%	40%
2	ई.एस.डी.एम. इकाईयां	भूखंडीय विकास	85%	15%
3.	सूचना प्रौद्योगिकी (इन्वेस्टमेंट) क्षेत्र का विकासकर्ता	भूखंडीय विकास	85%	15%
	सूचना प्रौद्योगिकी (इन्वेस्टमेंट) क्षेत्र का विकासकर्ता	भवन निर्माण	60%	40%."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2017

क्र. एफ-3-48-2017-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ-3-48-2017-अठारह-5, दिनांक 13 दिसम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 13th December 2017

No. F-3-48/2017/18-5 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973). The State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 2012, the same having been previously published in the "Madhya Pradesh Gazette" dated 06.10.2017 as required by sub-section (1) of section 85 of the said Act. After considering following amendments in Rules are finalized :-

AMENDMENT

In the said rules, after Rule 42 the following rule shall be inserted namely :-

"42 A. Norms for Information Technology:-

Information Technology (IT), Information Technology Enabled Services (ITES) and Electronic System Design and Manufacturing shall be called Information Technology.

- (1) **Land required for plot:** - Minimum area of plot shall be 3000 sq.m.
- (2) **Information Technology (Investment) Planning Area:-** Such area shall be termed as Information Technology Investment Area which bears a minimum area of 2 Hectare (5 acre) and such areas which shall be notified by Science and Technology Department, Madhya Pradesh Government.
- (3) **Floor Area Ratio (FAR) :-** Plots for Information and Technology, and in Information and Technology Investment Area shall have maximum FAR of 1:2.50 or maximum FAR permissible in the relevant development plan, whichever is higher.

Provided that if the plot/building situated in the Information Technology Investment Area is being used for non IT purposes in excess of the percentage mentioned in the following table-5 A, then the FAR and land use of whole plot/building shall be accepted as per the relevant development plan.

TABLE 5-A**[See Rule 42(a)]****Percentage of Plots/Building under MPIT, ITES and ESDM**

S.No.	Type of application	Type of Development	Percentage of Plots/F.A.R.	
			Plots used Minimum IT/ITes/ESDM	Plots used Maximum Ancillary/Commercial/other Industry /Residential
1	2	3	4	5
1.	IT unit/ITeS/Unit	Plotted Development	85%	15%
	IT Unit/ITeS	Building Construction	60%	40%
2.	ESDM Units	Plotted Development	85%	15%
3.	Developers of an IT Investment Area	Plotted Development	85%	15%
	Developers of an IT Investment Area	Building Construction	60%	40%."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
C. K. SADHAV, Dy. Secy.